न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 45/2016 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्रीमती शरीफन पुत्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी लोहारों का बास, ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली हाल मुकाम शिफत हुसैन कॉलोनी, रामबाग की पीछे, महामन्दिर जोधपुर		1. श्रीमती राबिया बानो पत्नी दीन मोहम्मद मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली 2. श्रीमती सहीदा बानो पत्नी फकरूदीन मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली 3. ग्राम पंचायत रोहट जरिये सरपंच रोहट, पंचायत समिति रोहट 4. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोहट पंचायत समिति रोहट

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.01.2018

प्रार्थियां की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रोहट के मिसल संख्या 08/2009–10 दायर दिनांक 20.04.2009, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2009 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 16 दिनांक 18.12.2009 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थियां लम्बे समय से सुनवाई तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं रहने से बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सूनी गई तथा गुणावगुण पर निर्णय के लिए पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थिया निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम रोहट तहसील रोहट में प्रार्थिया का एक रहवासी मकान आया हुआ है। प्रार्थिया के पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात उक्त सम्पति में प्रार्थियां का 1/3 हिस्सा आता है। जिसका नाप 150 X 75 = 11250 वर्गफुट साईज का है। जिसमें आगे की ओर निजाम होण्डा मोटरसाईकल का शोरूम है। जिसके पड़ोस उत्तर में असमा पत्नी अब्दुल हकीम दक्षिण में पेट्रोल पम्प पूर्व में पाली जोधपुर रोड पश्चिम में रास्ता है। प्रार्थिया के भाई दीन मोहम्मद व बुन्दु खां ने ग्राम पंचायत रोहट में मिलीभगत कर पुश्तैनी जायदाद को आपस में बांट लिया व पट्टे जारी करवा लिए जिसमें दिनांक 21.09.2011 को 4 पट्टे, पट्टा संख्या 28, 29, 30 व 31 नूर मोहम्मद व हुरमत के नाम से जारी करवा लिए बुन्दु खां ने हाईवे रोड पर स्थित दुकाने व गैराज अपने नाम करवा लिए तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 16 दीन मोहम्मद ने अपनी पत्नी राबिया के नाम से जारी करवा लिया। जिसे जारी करते हुए पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीकों से कोई कानूनी प्रकिया नहीं अपना कर पट्टे जारी किए है। जो खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों के प्रतिकूल जाकर जारी किया गया है। जो निरस्त योग्य है। पट्टागृहिता द्वारा पट्टे के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया, न ही पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचो की कमेटी ही बनाई गई। जो आज्ञापक है। कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं बनाई जाने से पट्टा निरस्त योग्य है।

क्रमशः:2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

नियमानुसार पट्टा जारी करने बाबत किसी प्रकार का अन्तरिम निर्णय पारित नहीं किया, न ही नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत 50 वर्षो से अधिक कब्जा होना मानकर 200/– रूपये राशि वसूली के साथ पट्टा जारी करने के आदेश दिए। परन्तु पट्टागृहिता का 50 वर्षो से अधिक का कब्जा नहीं था, न ही संनिर्माण किया हुआ था, न ही शहीदा एवं राबिया दोनों की उम्र ही 50 वर्ष से अधिक है। इसलिए भी पट्टा खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थिया ने ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पट्टा जारी करना स्वीकार किया है तथा साथ ही प्रार्थियां ने जैर निगरानी पट्टे की सम्पति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी होना स्वीकार करते हुए उक्त सम्पति में अपना हिस्सा मानते हुए पट्टा निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है तथा उपरोक्तानुसार ही अपने हिस्से का क्लेम करते हुए जिला न्यायालय पाली में उपरोक्त सम्पति के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। जो अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। इसलिए निगरानी खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टा उपपंजीयक रोहट से पंजीबद्ध कराया जा चुका है। जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थिया ने जैर निगरानी भूमि को पुश्तैनी अपने पिता दादा के समय से बताया। लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किया है। जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि पट्टे में अंकित भूखण्ड उसका पुश्तैनी भूखण्ड है। प्रार्थिया द्वारा पुलिस थाना रोहट में इस बाबत दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 29 दिनांक 17.06.2017 अन्तर्गत धारा 420, 409, 467, 468, 120 बी भा.द.स. में पुश्तैनी सम्पति धोखा–धडी कर हडपने बाबत प्रकरण दर्ज करवाया गया। जिसमें पुलिस थाना रोहट द्वारा साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट पेश करते हुए पट्टा धारको को दोष रहित माना है। जो एफ.आर. स्वीकृति हेतु माननीय सीजेएम कोर्ट पाली में विचाराधीन है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मोहम्मद नासिर पुत्र मोहम्मद बशीर जाति मुसलमान निवासी रोहट हाल निवासी मेडती गेट सिलावटों का बास मोहम्मद चौक जोधपुर जरिये आम मुख्तियार के कस्बा रोहट का भूखण्ड जरिये बेचाण इकरार श्रीमति शहीदा बानो पत्नी फकरूदीन व श्रीमती राबिया बानो पत्नी दीन मोहम्मद जातिगण लौहार मुसलमान निवासी रोहट के पक्ष में दिनांक 24.10.2009 को किया गया है तथा इसी बेचाण इकरार के आधार पर राबिया बानो व शहीदा बानों ने ग्राम पंचायत रोहट में पट्टा हेतु आवेदन किया तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा पट्टा संख्या 16 दिनांक 18.12.2009 जारी किया गया। ऐसा पुलिस विभाग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट बाबत एफ.आर.नम्बर 29 दिनांक 17.06.2017 जो प्रार्थिया शरीफन द्वारा दर्ज कराई गई है, में माना गया है। जो उचित प्रतीत होता है। प्रार्थियां शरीफन द्वारा जैर निगरानी पट्टा भूमि को अपनी पुश्तैनी बताया है। लेकिन पुश्तैनी भूमि होने बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में जारी पट्टे का रजिस्ट्रेशन 2012 में उपपंजीयक रोहट के कार्यालय में कराया जा चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त जैर निगरानी पट्टा भूमि से संबंधित पत्रावली पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही को प्रश्नगत करने का कोई ठोस आधार नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

क्रमशः::3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 08/2009–10 दायर दिनांक 20.042009, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2009 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 16 दिनांक 18.12.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत रोहट से प्राप्त मूल रेकर्ड प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर
पाली (राज.)